न्यूज ब्रीफ

रामापुर में छापेमारी, 8 लीटर देसी शराब बरामद

करपी| स्थानीय थाना क्षेत्र के रामापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 8 लीटर देसी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब कारोबार से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक पुलिस अवर निरीक्षक विनय कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम रामापुर गांव में छापेमारी करने पहुंची। पुलिस बल को देखते ही अवैध देसी शराब के कारोबार में संलिप्त लोग भाग खड़े हुए।

फसल चराने का विरोध करने पर की मारपीट

जहानाबाद | नगर थाना क्षेत्र के मनसा बीघा में मवेशी से फसल चराने का विरोध करने पर महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस संदर्भ में ईश्की के रहने वाले मुकेश कुमार की पत्नी लालसा देवी में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचक ने पुलिस को दिए शिकायत में कहा है 6 जून को मेरे पति अपने बहन के यहां से आए तो गांव के विजय यादव मनीष कुमार समेत चार नामजद को शिकायत करने गए की कल शाम को तुम्हारा गाय हरा सब्जी का पौधा खराब कर दिया है। शिकायत से खफा विरोधी पक्ष के लोगों ने उल्टे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मनीष कुमार ने लोहे के रोड से मेरे देवर अनिल कुमार को मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस बीच जब हम बचाने गए थे विजय यादव हमें भी बाल पकड़ कर पटक दिया और मुक्का से मारपीट करना शुरू कर दिया एवं मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। विरोधी पक्ष के महिला घर में घुस गई और घर में रखा बक्सा उठाकर लेते चले गए।

12.09 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को दबोचा।

अरवल| सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 12.09 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि प्रसादी इंग्लिश गांव स्थित फिरोज चिकन दुकान के पास ब्राउन शुगर (स्मैक) की खरीद-बिक्री की जा रही है। पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर एक विवो कंपनी का मोबाइल फोन (एयरटेल सिम सहित), 2,260 रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, दो आधार कार्ड, दो ड्राइविंग लाइसेंस, एक वोटर कार्ड, एक बकाया राशि संबंधी पर्ची तथा 12.09 ग्राम स्मैक बरामद की गई।गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज आलम उर्फ फौज (28 वर्ष), पिता स्वर्गीय मुख्तार कुरैशी, निवासी शाही मोहल्ला, थाना अरवल के रूप में हुई है। है।

अपराध • परिजनों का फूटा गुस्सा एन एच 22 को किया जाम,एसपी ने भेलावर थानेदार को किया सस्पेंड

20 दिन पहले भतीजे के कत्ल के मुख्य गवाह चाचा को मारी गोली, मौत पर बवाल

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

हत्या के एक मामले में मुकदमा वापस नहीं लेने पर भेलावर थाना क्षेत्र के कोइरी बीघा के समीप बाइक सवार अपराधियों ने उक्त थाना क्षेत्र के ही निसरपुरा निवासी राजीव कुमार उर्फ मुन्ना सिंह को गोली मारकर हत्या कर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल रविवार की देर रात अपराधियों ने उक्त सख्श को गोली मारी थी लेकिन बाद में इलाज के क्रम में देर रात पटना के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधेड़ के मौत के बाद अगले दिन सोमवार को परिजन का गुस्सा फूट पड़ा और फिर उनके साथ आक्रोशित लोगों ने शव को लेकर पटना-गया रोड एनएच 22 पर टेहटा के समीप पहुंच गए और करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रखा। सड़क जाम की सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्सा आए परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। सड़क जाम कर रहे लोगों घटनास्थल पर एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अपराजित लोहान खुद मौके पर पहुंच गए। एसपी ने वहां परिजनों से बातचीत कर घटना में शामिल अपराधियों की शिनाख्त कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए भेलावर के थानेदार को भी सस्पेंड करने का ऐलान किया जिसके बाद परिजनों का गुस्सा थमा और फिर काफी समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हट गए।

एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, धर-पकड़ को छापेमारी तेज

मृतक के परिजनों को समझाते पुलिस अधीक्षक

एसपी ने भेलावर थाना अध्यक्ष को किया निलंबित

एसपी ने भेलावर थाना क्षेत्र में बढ़े अपराधी घटना एवं 20 दिनों में चाचा भतीजे की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के आरोप में भेलावर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने बताया है कि भेलावर थाना क्षेत्र पूर्व में शांत था लेकिन पिछले कुछ महीनों से क्षेत्र में आपराधिक घटना बढ़ी है। उन्होंने स्वीकार किया कि हत्याकांड में मृतक के भतीजे शिवम उर्फ गोलू के हत्या कांड में शामिल अपराधी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों हत्याकांड को अब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी अनुसंधान करेंगे। मामले में एसआई टी का गठन कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में सम्मिलित एक अपराधी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है शेष बचे अगर अपराधी आत्म समर्पण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ शीघ्र कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों में पुलिस के खिलाफ दिखा आक्रोश

20 दिनों में चाचा भतीजे की हत्या से परिजनों में पुलिस के खिलाफ काफी रोष था। आक्रोशित परिजन स्थानीय थाना की पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। परिजनों का कहना था कि शिवम की हत्या के बाद पुलिस कांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्परता दिखाई तो शायद दूसरी घटना नहीं होती। परिजनों का कहना था कि अपराधियों को पकड़ने के लिए भेलावर के थाना प्रभारी समेत ललित नामक पुलिस पदाधिकारी को कई बार अवगत कराया गया लेकिन स्थानीय थाना की पुलिस ने नरमी दिखाई जिसके वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा और नतीजतन अपराधियों ने दुहसाहस दिखाते हुए चैलेंज कर दूसरी हत्याकांड को अंजाम दिया। अपराधियों को पकड़ने एवं हत्याकांड का पर्दाफाश के लिए आईजी व एसपी से लेकर थाना तक गुहार लगाई लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही नीतीश अनिल जितेंद्र एवं उनके शागिर्दों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की है। हालांकि पुलिस इस संदर्भ में अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस का मानना है कि घटना में शामिल चार-पांच संदिग्धों की पहचान की गई है। जिसके आधार पर

एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन :

दरअसल 20 दिनों के अंदर एक ही परिवार के दो लोग चाचा-भतीजे की हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड के खुलासे को लेकर एसपी ने तुरंत एसआईटी का गठन कर पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीपीओ घोसी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्हें डबल मर्डर हत्याकांड का शीघ्र खुलासा करने का जिम्मा सौंपा गया है। परिजनों का दावा है कि अपराधी भतीजे के हत्या के बाद दर्ज मुकदमा को उठाने का लगातार दबाव बना रहे थे। हत्यारे उन्हें केस नहीं उठाने पर कई दिनों से जान मारने की धमकी दे रहे थे। परिजनों की माने तो घटना के दिन सुबह में भी अपराधियों ने मौत के घाट उतारने की धमकी दी थी। नहीं माने तो रविवार की शाम कोईरी बीघा के समीप घात लगाए हथियार बंद अपराधियों ने बाइक सवार मुन्ना को घेर कर एक पर एक ताबड तोड़ दो गोली सीने में उतार दिया और फिर बाइक लेकर आसानी से फरार हो गए। मुन्ना अपने भतीजे शिवम उर्फ गोलू के हत्या कांड का मुख्य गवाह था।

प्रिय अन्नदाता

आम-अमरूद के बागों में हल्दी व अदरक भी लगाएं, बढ़ेगी आमदनी

प्रिय अन्नदाता,
किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने मिश्रित बागवानी मॉडल को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इसके तहत आम और अमरूद के बागों में खाली पड़ी भूमि का उपयोग हल्दी और अदरक जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए किया जा सकता है। बागों में पेड़ों के बीच पर्याप्त खाली स्थान उपलब्ध रहता है, जिसका उपयोग अतिरिक्त फसल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। किसान यदि इन खाली जगहों में हल्दी और अदरक जैसी फसलों की खेती करें तो एक ही खेत से दोहरी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।

जितेंद्र कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास

हल्दी की बुआई के लिए जून और जुलाई का महीना उचित माना जाता है। हल्दी की फसल बुआई के 8 महीने के बाद तैयार हो जाती है। समय- समय पर खेत की सिंचाई करते रहें। एक एकड़ बागीचे में हल्दी की खेती करने में पर 80 हजार रुपये की लागत आती है। एक एकड़ में लगभग 200 क्विंटल उत्पादन होता है और इसको बेचकर किसान 3 से 4 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।
मिश्रित खेती अपनाने से किसानों का जोखिम भी कम होगा, क्योंकि किसी एक फसल के प्रभावित होने पर दूसरी फसल से आय बनी रहेगी। वर्तमान समय में मिश्रित बागवानी किसानों के लिए एक प्रभावी और टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में उभर रही है। विभाग किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सलाह उपलब्ध करा रहा है ताकि वे इस मॉडल को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।

इन बातों का रखें ध्यान-

- बाग में पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना 20-25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें।
- खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाकर जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें।
- प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं।
- अदरक के लिए स्वस्थ एवं रोगमुक्त गांठों का चयन करें।
- हल्दी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग करें।
- बीज के उपचार के बाद ही बुआई करें, जून से जुलाई का समय सबसे उपयुक्त।
- मॉनसून की शुरुआती बारिश के बाद रोपण करने से बेहतर अंकुरण होता है।
- ऊंची मेड़ बनाकर रोपण करें।

आप खेती -किसानी से जुड़े किसी विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं तो वाट्सएप नंबर 9031644367 पर सिर्फ मैसेज करें।

अधिनायक लिपिक परीक्षा कल

भास्कर न्यूज़ | जहानाबाद

अधिकारियों की ब्रीफिंग करतीं डीएम

जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय के ग्राम प्लेक्स भवन में अधिनायक लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ तरीके से कराने को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केन्द्राधीक्षकों की ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि अधिनायक लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 10 जून को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक पाली में होगी। परीक्षा जहानाबाद के 10 केंद्रों पर होगी। जिन संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उनमें +2 हाई स्कूल, हाटी, काको; उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजीसराय, जहानाबाद; राज्य संपोषित बालिका इंटर स्कूल, गांधी मैदान, जहानाबाद; गौतमबुद्ध +2 हाई स्कूल, जहानाबाद; गांधी स्मारक इंटर स्कूल, जहानाबाद; ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, निजामुद्दीनपुर, जहानाबाद; मुरलीधर इंटर स्कूल, जहानाबाद; पी.पी.एम. स्कूल, जहानाबाद; आदर्श मध्य विद्यालय, उंटा, जहानाबाद; गांधी इंटर विद्यालय, कृष्णाश्रम, सिकरिया, जहानाबाद शामिल हैं। डीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय पूर्वाह्न 08:30 बजे तय है। पूर्वाह्न 09:30 बजे परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। तय समय के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।तलाशी के दौरान हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का उपयोग अनिवार्य होगा। पुलिस उपाधीक्षक, रक्षित, पुलिस केन्द्र, जहानाबाद को सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बच्चों के डांट फटकार पर दो गोतनी आपस में भिड़ी

जहानाबाद | नगर थाना क्षेत्र के खान बहादुर रोड पोस्ट ऑफिस गली में रहने वाली महिला को घर के बच्चों को डांट फटकार करना महंगा पड़ गया। डांट फटकार से खफा दो गोतनी ने अपने ही परिवार के महिला को गाली गलौज कर मारपीट किया। इस संदर्भ में महिला रिंकू देवी ने नगर थाना में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचक ने पुलिस को दिए शिकायत में कहा है कि घर में छत पर पौधा रोपा हुआ था जो कि घर के चार बच्चे मिलकर पौधा को कबाड़ दिया। पौधा कबाड़ ने पर हमने बच्चों को डांट फटकार किया तो गोतनी जूली देवी निकाल कर आई और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगी। इस क्रम में मेरा बाल पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया। हो हल्ला सुनकर जब उसके पति सुधीर कुमार आया और वह भी मारपीट करना शुरू कर दिया।

एडीजी ने अरवल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया

क्राइमरिपोर्ट| अरवल

पुलिस कर्मियों से जानकारी प्राप्त करते अपर पुलिस महानिदेशक।

अपर पुलिस महानिदेशक ने रविवार को पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया। निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन से जुड़े कामों की जानकारी दी।

अपर पुलिस महानिदेशक ने अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। गंभीर, सनसनीखेज मामलों के उद्घोदन पर बात की। लंबित कांडों के निष्पादन की प्रगति देखी। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की स्थिति जानी। वारंट, इश्तहार, कुर्की की कार्रवाई की समीक्षा की। स्पीडी ट्राइल की प्रगति देखी। अनुसंधानाधीन मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया।

उन्होंने प्रात:, मध्याह्न, संध्या, रात्रिकालीन गश्ती व्यवस्था का जायजा लिया। भूमि विवादों के निपटारे की स्थिति देखी। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। जनशिकायतों के त्वरित समाधान पर बात की। आमजन के साथ बेहतर समन्वय के लिए किए जा रहे प्रयास देखे।

निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेखों के संधारण की समीक्षा हुई। मालखाना प्रबंधन देखा गया। पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों के अनुशासन पर चर्चा हुई। गश्ती वाहनों के रखरखाव की स्थिति जानी। यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए किए जा रहे काम देखे गए। अपर पुलिस महानिदेशक ने विशेष अधिनियमों के तहत कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सीसी टीएनएस, डायल 112, एन ए एफ आई एस जैसी तकनीकी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग की बात कही। जनोन्मुखी पुलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए। पुलिस व्यवस्था में लापरवाही, शिथिलता, अनुशासनहीनता पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने को कहा।

जनता दरबार में डीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान का दिया निर्देश

सिटीरिपोर्टर| अरवल

जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनतीं डीएम अमृता बैस।

अरवल में जिला पदाधिकारी अमृषा बैस ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए करीब 10 लोगों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, मापी, नाली निर्माण, बिजली, थाना और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें रखीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
करपी प्रखंड के करपी गांव के कमलेश प्रसाद ने बताया कि उनके घर के स्मार्ट मीटर पर करीब 30 हजार रुपये का बकाया बिजली बिल है। बकाया के कारण कनेक्शन काट दिया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
कुर्था प्रखंड के हेलारपुर गांव की सरस्वती देवी ने आरोप लगाया कि पटिदारों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर मारपीट करते हैं। उन्होंने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, कुर्था को शनिवारिय भूमि विवाद शिविर के माध्यम से मामले का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
करपी प्रखंड के पाठकच्चक गांव के विजय सिंह और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की कि आम गैरमजरूआ गली में मिट्टी भरकर सोलिंग की जा रही है, जिससे नाली का पानी रुक रहा है। उन्होंने पहले नाली निर्माण कराने की मांग की। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, करपी को जांच कर अतिक्रमण हटाने और नियमानुसार प्रतिवेदन देने को कहा।

हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए किसान व मवेशी, मौत

भास्कर न्यूज़|जहानाबाद

अस्पताल में परिजन की भीड़

जहानाबाद जिले के कल्पा थाना क्षेत्र के नीमा गांव में सोमवार को 11 हजार वोल्ट के टूटे बिजली तार की चपेट में आने से एक किसान और एक गाय की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिव पूजन शर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक के साथ आक्रोश भी देखा गया।
जानकारी के अनुसार शिव पूजन शर्मा खेत में गाय चराने गए थे। इसी दौरान पहले से जमीन पर गिरे हाई वोल्टेज तार से उनका संपर्क हो गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने उन्हें पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
उसी खेत में चर रही एक गाय भी टूटे तार की चपेट में आ गई और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गांव में जर्जर तारों की शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। गाय का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम ने घटनास्थल पर किया।

मानिकपुर थाना क्षेत्र में बैंकों की सघन जांच

कुर्था|मानिकपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मानिकपुर थाना पुलिस द्वारा बैंकों की सघन जांच की गई। इस दौरान मानिकपुर बाजार स्थित ग्रामीण बैंक एवं बिथरा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जांच अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष स्मिता उपाध्याय ने किया, जिनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, अलार्म सिस्टम की कार्यशीलता, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षा गार्ड की तैनाती तथा बैंक के अंदर और बाहर की गतिविधियों का गहन अवलोकन किया गया।
पुलिस टीम ने बैंक कर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष स्मिता उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह जांच अभियान चलाया गया है।

ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना फेल, करोड़ों खर्च फिर भी अंधेरा

भास्कर न्यूज़| कुर्था

कुर्था प्रखंड की कई पंचायतों में बिहार सरकार की ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांवों की गलियां अंधेरे में हैं। मानिकपुर पंचायत के केमदारच्चक गांव के वार्ड 3 में लगी 10 सोलर स्ट्रीट लाइट में 7 खराब पड़ी हैं। वार्ड सदस्य रूबी कुमारी ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लाइट वर्ष 2025 में ही लगाई गई थीं।
निघवां पंचायत के छतोई गांव के वार्ड 4, 5, 6 में कुल 30 सोलर लाइट लगी हैं। इनमें 20 बंद पड़ी हैं। सोसित सिंह, ममता देवी, बजेंद्र यादव, संटू कुमार, शाहनंद सिंह ने बताया कि लाइट लगने के कुछ समय बाद ही खराब हो गई। आज तक मरम्मत नहीं हुई। रात में आवागमन में परेशानी होती है। केमदारच्चक के विरजन यादव, विजय सिंह, रामदेनि भगत, मधेश्वर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने भी बताया कि बार-बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, एक सोलर स्ट्रीट लाइट की कीमत करीब 35 हजार 500 रुपए बताई जाती है। बड़ी संख्या में लाइट खराब होने से सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि कुर्था प्रखंड की सभी 10 पंचायतों के करीब 145 वार्डों में कमोबेश यही स्थिति है। जहां लाइट लगी है, वहां भी लाभ नहीं मिल रहा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों से अंधेरा दूर करना था। मौजूदा हालात में यह "हाथी का दांत" साबित हो रही है। शाम होते ही गलियों में रोशनी नहीं होती। अंधेरा पसरा रहता है।

विरोध • दोमुहान बचाव को लेकर संघर्ष समिति की बैठक, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

श्मशान घाट विकास में बाधा पर भड़के ग्रामीण

सिटीरिपोर्टर| ओबरा

बैठक में मौजूद संघर्ष समिति के सदस्य

ओबरा प्रखंड मुख्यालय के बेल रोड स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में सोमवार को ओबरा पुनपुन अदरी दोमुहान बचाव संघर्ष समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव मुनारिक राम ने की। संचालन पूर्व मुखिया शंभू प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि गोविंद अग्रवाल ने किया। बैठक में दोमुहान स्थित श्मशान घाट के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं पर चर्चा हुई। समिति ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया।
समिति सदस्यों ने कहा कि पुनपुन अदरी दोमुहान वर्षों से ओबरा ही नहीं, पूरे प्रखंड के लोगों के लिए अंतिम संस्कार का प्रमुख स्थल रहा है। पूर्वजों के समय से अलग-अलग गांवों के लोग यहां दाह संस्कार करते आ रहे हैं। इसके बाद भी विकास कार्यों में कुछ लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।
सदस्यों ने आरोप लगाया कि ओबरा निवासी विद्याधर तिवारी विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि दोमुहान क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहां पहुंचने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में श्मशान घाट के विकास कार्य रोकना जनहित के खिलाफ है।
बैठक में तय हुआ कि संघर्ष समिति को और मजबूत किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोमुहान स्थल पर महापंचायत होगी। इसमें सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। उद्देश्य स्थायी समाधान निकालना है।
भाकपा माले के जिला सचिव ने कहा कि संघर्ष समिति के जरिए दोमुहान बचाव अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी लिखित रूप से जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसा का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने कब्जा की संपत्ति के लिए नीचे दी गई तारीख में उल्लिखित तिथि पर "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आगामी मूल्य और भुगतान राशि जमा नीचे दी गई तारीख में सम्बन्धित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A (नियम 9(1) का प्रावधान देखें) (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

क्रमांक	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरेषणी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरेषणी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) (ख) ईमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखा-देवकुंड (1699) खाता संख्या-1699008700001175 मेसर्स खुशी कृषि केंद्र प्रोप- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह श्रीमती चंदकुंवर देवी पति राधिका सिंह श्री हरेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री राधिका सिंह सभी निवासी– ग्राम-डोरी, थाना-रामपुरचौरम जिला-अरवल, बिहार-804419	1. अचल संपत्ति स्थित है: बंधक विलेख संख्या 2803, दिनांक 24.06.2014, खाता संख्या 175, प्लॉट संख्या 1964, क्षेत्रफल 3.43 डेसिमल, थाना संख्या 67, मौजा-डोरी, पोस्ट एवं थाना-रामपुरचौरम, जिला-अरवल, श्रीमती चंदकुंवर देवी पति राधिका सिंह के नाम पर। चौहद्दी: उत्तर- पोखरा, दक्षिण-बन रजक एवं जोगी रजक, पूर्व-रास्ता, पश्चिम- बलिराम सिंह	क) 07.02.2019 ख) रु.18,94,802/- + अतिरिक्त ब्याज ग) 21.02.2020 घ) सांकेतिक	क) रु. 27,71,000/- ख) रु. 2,77,100/- ग) रु.25,000/-	दिनांक 23.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अभिहस्तांतरी द्वारा वेबसाइट https://bnankret.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://bnankret.com और www.pubindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना विलंब की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा प्राधिकृत अधिकारी